सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 760 **28 Aashwin, 1938 (*S*)**
Ranchi, Friday, 20th October, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

18 October, 2017

S.O. 94 Dated 18 October, 2017 -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification S.O. 42 State Tax (Rate) dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9B	Chapter 99	Supply of services associated with transit cargo to Nepal and Bhutan (landlocked countries).	Nil	Nil".

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner

Note: - The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, *vide* S.O. 42 State Tax (Rate) dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification S.O. 86 State Tax (Rate) dated 05 October, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2017

एस० ओ० 94 दिनांक 18 अक्टूबर, 2017-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना एस० ओ० 42 दिनांक 29 जून, 2017, जिसे झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ख	अध्याय 99	नेपाल और भूटान (भू-स्थल से घिरे देश) को ट्रांजिट कार्गो से संबंधित सेवाओं का आपूर्ति	कुछ नहीं	कुछ नहीं".

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त

नोटः- प्रधान अधिसूचना को एस० ओ० 42 दिनांक 29 जून, 2017, तहत झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार एस० ओ० 86 दिनांक 5 अक्टूबर, 2017, के द्वार संशोधन किया गया है।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 760-- 50.